

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

Endt. No

C/4044
III-6-3/90

Jabalpur, dated *23*/05/2025

The Notification F. Nos. 2194/21-B(1)/2025 & 2196/21-B(1)/2025 dated 22.05.2025, in respect of appointment of Shri Anish Kumar Mishra, Principal District & Sessions Judge, Alirajpur and Shri Mohammad Syedul Abrar Ansari, Principal District & Sessions Judge, Dindori u/s 14 of SC/ST (POA) Act, 1989 at District Alirajpur and Dindori respectively, received from the Law and Legislative Affairs Department, Bhopal, is forwarded to:-

1. The Registrar cum PPS of Honourable Chief Justice for kind information of His Lordship;
2. The Registrar General, the Principal Registrar (Judicial), the Principal Registrar (Vigilance) and the Principal Registrar (Examination & ILR) High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for information and necessary action;
3. The Principal District and Sessions Judges, Alirajpur and Dindori for information and necessary action, with request that the order may kindly brought to the knowledge of the concerned Judge also;;
4. District Judge, (Inspection), Jabalpur, Indore and Gwalior for information and necessary action;
5. The Principal Registrar, Bench at Indore and Gwalior High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
6. The Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur for information;
7. The Member Secretary, Madhya Pradesh State Legal Services Authority, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
8. Registrar (Judicial-I), (Judicial-II), (Administration), (Vigilance), (Inspection & Litigation), (Examination and Labour Judiciary) for information;
9. The Registrar Confidential and the Administrative Officer, Checker Section, High Court of M.P., Jabalpur for information.

Mukesh Rawat
22/5/25

MUKESH RAWAT
REGISTRAR District Establishment

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22/05/2025

फा0 क्र0 2194/21-ब(एक)/2025- अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद् द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लेखित सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश को, कॉलम (2) में उल्लेखित जिले के लिए, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने हेतु विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् :-

सारणी

अनु.क्र.	जिले का नाम	सेशन न्यायालय
(1)	(2)	(3)
5.	डिण्डौरी	श्री मोहम्मद सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी

NOTIFICATION

F.NO. 2194-XXI-B(1)/2025- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989) the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Sessions Judge/Additional Sessions Judge mentioned in column (3) as Special Judge for districts mentioned in column (2) of the table given below to try the offences under the said Act, namely:-

TABLE

S.No.	Nam of District	Sessions Court
(1)	(2)	(3)
5.	Dindori	Shri Mohammad Syedul Abrar Ansari, Principal District and Sessions Judge, Dindori

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ० क्र० 2194/21-ब(एक) /2025,

भोपाल, दिनांक 21/05/2025

प्रतिलिपि:-

- ✓ 1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्रमांक C/2068/III-6-3/90-XI दिनांक 06.03.2025 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, म० प्र० शासन, गृह (पुलिस) विभाग, भोपाल,
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
4. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी (म० प्र०)
5. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (म० प्र० राजपत्र के भाग-1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ) प्रेषित।
6. शाखा प्रभारी, आय० टी० शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।


21.5.25

(अनिल कुमार पाठक)
सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22/05/2025

फा0 क्र0 2196/21-ब(एक)/2025- अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद् द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित जिले के लिए, कॉलम (3) में उल्लेखित सेशन न्यायाधीश को, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने हेतु विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात्:-

सारणी

अनु.क्र.	जिले का नाम	सेशन न्यायालय
(1)	(2)	(3)
1.	अलीराजपुर	श्री अनीश कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर ।

NOTIFICATION

F.NO. 2196-XXI-B(1)/2025- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (33 of 1989), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Sessions Judge as mentioned in column (3) as Special Judge for the district mentioned in column (2) of the table given below to try the offences under the said Act, namely:-

TABLE

S.No.	Nam of District	Sessions Court
(1)	(2)	(3)
1.	Alirajpur	Shri Anish Kumar Mishra, Principal District and Sessions Judge, Alirajpur.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)

प्रमुख सचिव,

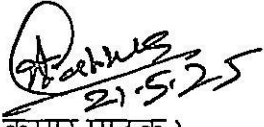
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ० क्र० 2196/21-ब(एक) /2025,

भोपाल, दिनांक 22/05/2025

प्रतिलिपि:-

- ✓ 1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्रमांक C/2203/III-6-3/90-XI दिनांक 11.03.2025 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, म० प्र० शासन, गृह (पुलिस) विभाग, भोपाल,
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
4. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर (म० प्र०)
5. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (म० प्र० राजपत्र के भाग-1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ) प्रेषित।
6. शाखा प्रभारी, आय० टी० शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।


(अनिल कुमार पाठक)
सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग